



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012025-260652  
CG-DL-E-31012025-260652

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2025/माघ 11, 1946

No. 59]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2025/MAGHA 11, 1946

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 88(अ).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, लाभों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18वां) की धारा 53 की उप धारा (2) के खंड (कक) के साथ पठित धारा 53 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) ये नियम सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियमावली, 2025 कहलाएंगे।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 (जिसे यहां इसके बाद उपर्युक्त नियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के नियम 3 में,—

(क) उप-नियम (1) में, "सुशासन के हित में, सार्वजनिक निधियों के अपव्यय की रोकथाम, नागरिकों के जीवन की सहूलियत बढ़ाने और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच समर्थ करने के लिए" शब्दों को हटा दिया जाएगा; और

(ख) उप-नियम (1) में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(कक) निवासियों के जीवन की सहूलियत बढ़ाने और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच समर्थ करने के लिए;"

3. उपर्युक्त नियमों में, नियम 4 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"4. प्रस्ताव तैयार करना:-(1) नियम 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्य से आधार अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार का कोई मंत्रालय अथवा विभाग, जैसा भी मामला हो, ऐसे उद्देश्य जिसके लिए आधार अधिप्रमाणन की मांग की जाती है, के संबंध में औचित्य के साथ एक प्रस्ताव तैयार करेगा और प्राधिकरण के संदर्भ हेतु उसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट मंत्रालय या विभाग के अलावा कोई भी संस्था, जो आधार अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करने की इच्छुक है, नियम 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्य और राष्ट्र के हित में मांगे गए अधिप्रमाणन के संबंध में औचित्य के साथ एक प्रस्ताव तैयार करेगी और उसे उपयुक्त सरकार के संबंधित मंत्रालय या विभाग को प्रस्तुत करेगी।

(3) यदि उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट मंत्रालय या विभाग की यह राय है कि उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन को पूरा करता है और राष्ट्र के हित में है तो वह प्रस्ताव को अपनी सिफारिशों के साथ प्राधिकरण को संदर्भ देने के प्रयोजन से केन्द्र सरकार को अग्रेषित करेगा।

**स्पष्टीकरण** - इस नियम में, "समुचित सरकार का संबंधित मंत्रालय या विभाग" से समुचित सरकार का ऐसा मंत्रालय या विभाग अभिप्रेत है जहां संविधान के अनुच्छेद 77 या 166, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत बनाए गए संब्यवहार नियमों के अधीन उस प्रयोजन से संबंधित कार्य संपादित किया जाता है।"

4. उपर्युक्त नियमों में, नियम 5 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"5. प्रस्ताव की जांच.— नियम 4 के तहत प्रस्ताव प्राप्त होने पर, यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि प्रस्ताव नियम 3 में वर्णित प्रयोजनों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है, तो यह केंद्र सरकार को सूचित करेगा कि अनुरोधकर्ता निकाय को आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दी जाए और इसके बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, को केंद्र सरकार द्वारा इसे तदनुसार अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।"

[फा. सं. 13(2)/2023-ईजी-II]

भुवनेश कुमार, अपर सचिव

**नोट**—मूल नियमों का प्रकाशन दिनांक 5 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 490(अ) के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में किया गया।

## MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2025

**G.S.R. 88(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 read with clause (aa) of sub-section (2) of section 53 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government, hereby makes the following rules, namely:—

1. (1) These rules may be called the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3,—

(a) in sub-rule (1), the words “in the interest of good governance, preventing leakage of public funds, promoting ease of living of residents and enabling better access to services for them,” shall be omitted;

(b) in sub-rule (1), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

“(aa) promoting ease of living of residents and enabling better access to services for them;”

3. In the said rules, for rule 4, the following shall be substituted, namely:-

**“4. Preparation of the proposal.**—(1) The Ministry or the Department of the Central Government or a State Government, as the case may be, desirous of utilising Aadhaar authentication for a purpose specified in rule 3 shall prepare a proposal with justification in regard to such purpose for which Aadhaar authentication is sought and submit the same to the Central Government for making a reference to the Authority.

(2) Any entity other than the Ministry or Department referred to in sub-rule (1), which is desirous of utilising Aadhaar authentication, shall prepare a proposal with justification in regard to the authentication sought being for a purpose specified in rule 3 and in the interest of State, and submit the same to the concerned Ministry or Department of the appropriate Government.

(3) If the Ministry or Department referred to in sub-rule (2) is of the opinion that the proposal submitted thereunder fulfils a purpose specified in rule 3 and is in the interest of State, it shall forward the proposal, along with its recommendations, to the Central Government, for making a reference to the Authority.

**Explanation.**—In this rule, “concerned Ministry or Department of the appropriate Government” means such Ministry or Department of the appropriate Government in which business related to that purpose is transacted under the rules of business made under article 77 or 166 of the Constitution, as the case may be.”

4. In the said rules, for rule 5, the following shall be substituted, namely:-

**“5. Examination of proposal.**—On receipt of the proposal under rule 4, if the Authority is satisfied that the proposal is in accordance with the purposes mentioned in rule 3 and the provisions of the Act, it shall inform the Central Government that the requesting entity may be allowed to perform Aadhaar authentication and thereafter, the Ministry or the Department of the Central Government or a State Government, as the case may be, may be authorised by the Central Government to notify the same accordingly.

[F. No. 13(2)/2023-EG-II]

BHUVNESH KUMAR, Addl. Secy.

**Note.**—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 490(E), dated the 5<sup>th</sup> August, 2020.